

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
कार्यालय आबकारी आयुक्त
एल- ब्लाक, विकास भवन, आई. पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं.फा. 10 (210)/96-97 /आब/आई.एम.एफ.एल/पार्ट फाइल-1/ 23-40 दिनांक: 08/01/2024

आदेश

दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 52 के प्रावधानों के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कुछ अवसरों के उपरांत "शुष्क दिवस" घोषित किया जाता है जो कि आबकारी विभाग के सभी लाइसेंसधारियों एल-१, एल-१एफ, एल-२, एल-३, एल-४, एल-५, एल-६, एल-६एफजी, एल-६ एफई, एल-८, एल-९, एल-१०, एल-११, एल-१४, एल-१८, एल-१८एफ एल-२३, एल-२३एफ, एल-२५, एल-२६, एल-३१, एल-३२, एल-३३, एल-३४ एवं एल-३५ और अफीम की दुकान के लाइसेंस धारकों पर लागू होगा।

क्रम संख्या	अवसर	तारीख	दिन
1	गणतन्त्र दिवस	26.01.2024	शुक्रवार
2	गुरु रविदास का जन्मदिवस	24.02.2024	शनिवार
3	स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्मदिवस	06.03.2024	बुधवार
4	महा शिवरात्रि	08.03.2024	शुक्रवार
5	होली	25.03.2024	सोमवार
6	गुड फ्राइडे	29.03.2024	शुक्रवार

उपरोक्त के अतिरिक्त, सभी एल-16, एल-16एफ, एल-17, एल-17एफ, एल-19, एल-19एफ, एल-20, एल-20एफ, एल-21, एल-21एफ, एल-22, एल-28, एल-28एफ, एल-29, एल-29एफ, पी-10 एवं पी-13 लाइसेंसधारियों को 26.01.2024 (शुक्रवार) गणतन्त्र दिवस के उपरांत "शुष्क दिवस" के रूप में घोषित किया जाता है।

क्रम संख्या	अवसर	तारीख	दिन
1	गणतन्त्र दिवस	26.01.2024	शुक्रवार

लाइसेंसधारी उक्त सूची के अंतर्गत किये जाने वाले परिवर्तन के कारण हुई क्षतिपूर्ति का पात्र नहीं होगा।

उक्त लिखित "मध्य-निषेध दिन" में शराब की बिक्री पर लागू प्रतिबन्ध, लाइसेंसधारियों एल-15 की स्थिति में वहां ठहरे मेहमानों को शराब परोसने पर लागू नहीं होगा।

सभी लाइसेंसधारी इस सूची को अपने लाइसेंस परिसर में उचित स्थान पर दर्शायेंगे।

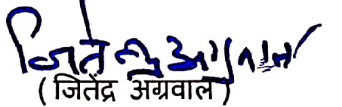
"शुष्क दिवस" पर वाणिज्य परिसर बंद रहेंगे।

कृष्ण मोहन
८/१

(कृष्ण मोहन उप्पू)
आबकारी आयुक्त

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. माननीय उपराज्यपाल दिल्ली के प्रधान सचिव, राज निवास दिल्ली.
2. माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के अपर सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली,
3. माननीय वित्त मंत्री दिल्ली के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
4. मुख्य सचिव दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली,
5. अपर मुख्य सचिव, (वित्त) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
6. पुलिस आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
7. संभागीय आयुक्त, एवं सचिव (राजस्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
8. उप सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दिल्ली गजट में अधिसूचना के लिए.
9. अवर सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली. 10. उपायुक्त (आबकारी/ कर), आबकारी मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली..
11. सभी शाखा अधिकारी, आबकारी विभाग इस आदेश को सभी लाइसेंसधारियों को जो उनके नियंत्रण में हैं, उनको प्रसारित करने हेतु
12. सभी आबकारी निरीक्षक/उप-निरीक्षक कड़ाई से अनुपालन हेतु.
13. प्रबंधक निदेशक, डी.एस.आई.डी. सी. डी. टी. टी. डी. सी. डी.एस.सी.एस.सी एवं प्रशासक, डी.सी.सी.डब्लू. एस. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली.
14. सभी लाइसेंसधारकों को प्रेषित
15. सहायक आयुक्त (ई.एस.सी.आई.एम.एस.) विभागीय पोर्टल पर टी. सी. एस द्वारा उपलोड कराने हेतु.
16. प्रभारी कंप्यूटर सेल, विभागीय वेबसाइट पर उपलोड कराने हेतु,
17. गार्ड फाइल.


(जितेंद्र अग्रवाल)

आबकारी उप-आयुक्त